न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 138/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
प्रभुराम पुत्र छोटाराम जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल		1राज. सरकार जरिये तहसीलदार, जायल। 2प्रमोद कुमार पुत्र शिवदेवराम जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक:24.07.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 158/2015 सरकार बनाम प्रभुराम में निर्णय दिनांक 29.12.15 के तहत मौजा खेरवाड के खसरा नं. 232 रकबा 1.15 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 26.09.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 05.10.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी प्रमोद कुमार पुत्र शिवदेवराम जाट निवासी खेरवाड द्वारा आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.16 को प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 07.11.17 को प्रार्थी प्रमोद कुमार को रेस्पोडेन्ट सं. 2 पक्षकार रिकार्ड पर लिया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नही थी तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार इस विश्वास में था कि राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित की जाकर उसकी उपस्थिति में मौका देकर जाकर विवादित खसरे का नाप चोप किया जाये व उसके पटटे के बाबत भी नाप चोप किया जायेगा। इस बाबत कोई भी टीम कभी भी गठित नही की गयी और अपीलांट जांच रिपोर्ट के बाबत इंतजार करता रहा और दो बार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हुआ परंतु मौके पर नाप चोप नही किये जाने से अपीलांट उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के विश्वास में था और अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के आदेश को नजरअंदाज करते हुए बिना नाप चोप करवाये अपीलांट को बिना सूचना दिये ही निर्णय पारित कर दिया। जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को सूचना नही देने के कारण नही हो सकी। अभी हाल ही में गत सप्ताह मौके पर पटवारी व आरआई आकर अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हुए तब अपीलांट ने प्रकरण विचाराधीन होने का कहा और नाप चोप भी नही होना बताया तब उन्होने कहा कि प्रकरण में निर्णय होकर उसके बेदखली के आदेश है। जिस पर अपीलांट ने जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल के लिये आवेदन दिनांक 22.09.16 को पेश किया तथा दिनांक 23.09.16 को नकले शाम को प्राप्त हुई और दिनांक 24 व 25.09.16 को अवकाश होने से तुरंत बाद यह अपील पेश की। जो अपील समयावधि के है। अपीलांट को पूर्व में उक्त निर्णय की जानकारी नही होने और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा टीम गठित कर नाप चोप नही करवाने से और सूचना नही देने से नही हो सकी। चूंकि अपीलांट के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अपील स्वीकार करने का निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को मामला रिमाण्ड किया था तथा अपीलांट के हितो का न्यायनिर्णयन होना शेष है। यदि विलंब जैसे तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार नही की जाती है तो अपीलांट के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों व माननीय राजस्व मंडल के द्वारा पारित निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि मामले का निर्णय विलंब जैसे तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर नही करके गुणावगुण पर किया जाना चाहिये। चूंकि उक्त प्रकरण में अपीलांट को निर्णय की जानकारी नही होने से अपील उस समय प्रस्तुत नही की जा सकी

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

और जानकारी होते ही अविलंब उक्त अपील पेश की है। जिससे अपीलांट के द्वारा अपील पेश करने में हुए विलंब को कन्डोन किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट के मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने दिनांक 14.11.17 को प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होने बताया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी आदेश के दिन से ही रहती चली आयी थी तथा इस प्रकरण में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था और उपस्थित होकर साक्ष्य सबूत हेतु अवसर चाहा था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट को समुचित अवसर दिये थे। तत्पश्चात अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नही हुआ। जो अपीलांट स्वयं की लापरवाही है और स्वयं के लापरवाही को दूसरों पर थोपा जाकर कानून से नही बच सकता और स्वयं की लापरवाही साबित है। अपीलांट ने सारे तथ्य झूठे व बनावटी दर्ज किये है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य किसी भी साक्ष्य से साबित नही है और अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत रूप से सूचित किया गया है और सूचित होने पर अपीलांट स्वयं उपस्थित हुआ है और बार बार अवसर चाहा गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पर्याप्त अवसर देने के बाद जैर अपील आदेश पारित किया गया है तथा प्रत्येक पेशी पर व कार्यवाही पर पर पक्षकार को सूचित किया जाना आवश्यक नही होता है और न ही ऐसा कोई कानून में प्रावधान है। न्यायालय के द्वारा सूचित करने के बाद अगर पक्षकार उपस्थित नही होता है तो उसके लिये पक्षकार स्वयं ही जिम्मेदार होता है और अपनी कार्यवाही का ध्यान रखने का पक्षकार स्वयं का कर्तव्य होता है। अपनी स्वयं की कमी को दूसरों पर थोप कर कानून से नही बच सकता तथा अपीलांट को कौनसी तारीख को बेदखल करने आये थे। उस तारीख का कोई उल्लेख किया हुआ नही है और जानकारी प्रथम बार आरआई से होना बताया गया है। इसके सबंध में आरआई का कोई शपथ पत्र भी पेश नही किया। प्रार्थी ने जो देरी का कारण बताया गया है वह कारण संतोष जनक व स्पष्ट नही है। लेकिन अपीलांट ने अपनी अपील को कानूनी रंगत देने के लिये गलत व बनावटी कथन दर्ज किये है। जबकि अपीलांट को आदेश की जानकारी शुरू से ही रहती चली आयी थी। अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर होने से व करीब 9–10 माह बाद अपील पेश करने का कोई कारण नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को आदेश की जानकारी शुरू से ही थी और न्यायालय में उपस्थित भी हुआ था। जो न्यायालय की आदेशिका से साबित है। लेकिन अवैध अतिक्रमण को लंबे समय तक रखने व ग्रामीण लोगो का आवागमन लंबे समय तक बाधित करने की गरज से अपीलांट ने जानबूझकर अपील देरी से प्रस्तुत की है तथा मियाद का बिन्दु तकनीकी बिन्दु नही है। बल्कि मयाद का बिन्दु गंभीर है। मयाद के बिन्दु को कानूनी रूप से कभी भी नजरअंदाज नही किया जा सकता। अगर देरी का कारण स्पष्ट संतोषजनक व वाजिब होता है और किसी साक्ष्य से साबित करने में पक्षकार सफल हो जाता है तो ही देरी माफ की जा सकती है। मात्र बनावटी व झूठे तथ्यों के आधार पर कानूनी रूप से देरी को माफ नही किया जा सकता हैं देरी का जो कारण बताया गया है। वह कारण किसी भी तरह से साबित नही है और न ही संतोषजनक है। इसलिये अपीलांट की अपील पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश जैर अपील अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित हुआ है तथा विलंब के लिये मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–निर्णय जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जिस आधार पर अपीलांट को खसरा सं. 232 की भूमि पर अतिक्रमी माना है वस्तुतः वो आधार न्यायालय हाजा के द्वारा अपास्त कर दिया गया था और न्यायालय हाजा के द्वारा जो आदेश दिनांक 18.12.14 को पारित किया गया था। उसमे जो निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये थे। उनकी कोई पालना अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नही की गई। न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 18.12.14 में यह स्पष्ट आदेश दिया कि राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर खसरा सं. 232 की मौके की स्थिति अभिलेख पर ली जावे नाप चोप उभय पक्षो की उपस्थिति में किया जावे तथा अपीलांट का कब्जा पुराना होने के आधार पर मामला नियमन योग्य होने पर राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार नया आदेश पारित करना था। उक्त निर्णय पारित होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बाद अपीलांट को सीधे ही साक्ष्य सबूत के लिये नोटिस दिनांक 03.07.15 को जारी किया गया

अपर कलक्टर, नागौर

जबकि न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेशानुसार राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर खसरा नं. 232 कर नाप चाप करने बाबत कोई नोटिस अपीलांट को जारी नही किया गया तथा न ही आदेशिका में इस बाबत कोई उल्लेख है कि किन अधिकारियों व कर्मचारियों को मौके पर जाकर नाप चोप करने के लिये आदेशित किया गया था। यहां तक कि प्रकरण दर्ज होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र खसरा की पैमाईश हेतु टीम गठित की जाकर आदेश जारी करने का मात्र लिखा गया है तथा टीम कब गठित की गई है इस बाबत कोई उल्लेख नही है। इसके बाद आगामी पेशी पर ऐसी कोई जांच रिपोर्ट अपीलांट को सूचना देकर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा तैयारसुदा पेश होने बाबत कोई उल्लेख आदेशिका में नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेशानुसार मौके पर खसरा नं. 232 का नाप चोप करवाना आवश्यक था। परंतु इस खसरे का कोई नाप चोप अपीलांट की जानकारी व अपीलांट को पूर्व सूचना देकर मौके पर कभी भी नही किया गया तथा न ही ऐसी जांच रिपोर्ट के बाबत आदेशिका में आगे कही पर उल्लेख है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की कोई पालना नही की और पत्रावली बिना जांच रिपोर्ट आये ही सीधे साक्ष्य सबूत में रखकर अपीलांट को बिना सूचना दिये ही एकपक्षीय रूप से पारित कर दिया जबकि अपीलांट न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेशानुसार इसी विश्वास में था कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पहले खसरे का नाप चोप राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित करके करवाया जायेगा। जिसकी सूचना न्यायालय के आदेशानुसार उसको दी जायेगी तथा मौके पर नाप चोप होने के बाद यदि अपीलांट का अतिक्रमण भी होगा तो उसको जवाबदेही सबूत शहादत का अवसर दिये जाने के बाद निर्णय पारित किया जायेगा। चूंकि अपीलांट को कभी भी मौके पर नाप चोप किये जाने बाबत नोटिस व सूचना नही थी और अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नाप चोप किये सीधे ही अपीलांट को बिना सूचना दिये उसको साक्ष्य सबूत व बहस का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय रूप से मनमाने प्रकार से उक्त निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो कि स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पूर्णतः अवहेलना है। क्योंकि न्यायालय हाजा के द्वारा पारित पूर्व निर्णय के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रथमतः तो मौके पर अपीलांट की उपस्थिती में करवाना था तथा नाप चोप के अनुसार अपीलांट का अतिक्रमण यदि राजकीय भूमि में पाया भी जाता तो द्वितीय ऑब्जरवेशन अनुसार अपीलांट को जवाबदेही साक्ष्य सबूत का अवसर देकर ताजा निर्णय पारित करना था। परंतु न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णयानुसार न तो मौका रिपोर्ट जांच रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में कभी भी तैयार नही की गयी। जिससे अपीलांट का राजकीय भूमि पर कब्जा होने या न होने के बाबत कोई आदेश दिया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के खिलाफ विचाराधीन प्रकरण में संवत 2070 में अपीलांट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण माना तथा न्यायालय हाजा के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर देने पर प्रकरण पुनः दर्ज किया गया। इस दौरान कोई नया आवेदन पटवारी के द्वारा दिया गया हो ऐसा कही पर आदेशिका में नही लिखा गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में सवत 2072 में अपीलांट के अतिक्रमण के आधार पर अपीलांट के खिलाफ निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य व सबूत तथा जवाबदेही का पर्याप्त अवसर तक नही दिया गया और केवल मात्र उपस्थिति के दिन पर ही बताये जा रहे अतिक्रमण बाबत जांच रिपोर्ट तलब करने का आदेश पारित कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को प्रकरण में जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए एकपक्षीय रूप से मामला निर्णीत कर विधि की भारी भूल की है। जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा यह स्पष्ट बता दिया गया कि जिस भूमि पर अपीलांट काबिज है। वह उसकी पट्टासुद पुश्तैनी कब्जे व उपयोग उपभोग की भूमि है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को मौके की वास्तविक स्थिति पट्टासुद भूमि व खसरा नं. 232 बाबत मंगवायी जानी आवश्यक व न्यायसंगत थी। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से पट्टासुद भूमि को नजरअंदाज करते हुए मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो खारिज होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

{2}(VI)–अपीलांट का जिस भूमि पर कब्जा व उपयोग उपभोग है वो अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है और उक्त भूमि पर अपीलांट की पुरानी दीवार पत्थरों की तीस वर्ष से ज्यादा समय से बनी हुई है और वहां पर अपीलांट अपने पशु आदि बांधता है तथा पशुओं के लिये चारा आदि भी डाल रखा है। जिससे अपीलांट के द्वारा संवत 2070 में अतिक्रमण किया जाना किसी भी प्रकार से साबित नही था। इसके अलावा इस खसरे पर काफी मकान बने हुए है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्य की भूल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है।

{2}(VII)–पटवारी डिडिया ने अपीलांट के द्वारा संवत 2070 में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है जबकि उक्त आरोप अपने आप में असत्य व मनगढन्त प्रतीत होता है। क्योंकि अपीलांट का कब्जा काश्त पुश्तैनी व 30 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है।

{2}(VIII)–अपीलांट का विवादित भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नही है तथा अपीलांट की मंशा अतिक्रमण करने की नही है। जिससे भी बेदखली व शास्ति का आदेश निरस्तनीय है।

{2}(IX)–अपीलांट का खसरा नं. 232 गै.मु. मगरा पर वर्षो पुराना कब्जा काश्त है और इसी कारण पूर्व में टीपी रसीदे जारी की गई। इसके अलावा मौके पर वर्षो पुरानी पत्थरों की दीवार, पशुओं के लिये जगह, चारा फूस आदि डालने के लिये जगह भी बनायी हुई है। जिससे अपीलांट का मामला नियमन योग्य बनता है तथा भूमि की किस्म भी नियमन योग्य है। जिससे भी अपीलांट को बेदखल करने का कोई औचित्य नही था। जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}– रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा वकील अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा यह भूमि ग्रामीण लोगो के आवागमन के लिये रास्ते के रूप में रहती चली आयी। जिस पर अतिक्रमण किये जाने से आवागमन बाधित हुआ है तथा पानी का बहाव क्षेत्र भी समाप्त हो चुका है। यह भूमि सार्वजनिक हितो एवं लोकोपयोगी भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत मगरा / चारागाह किस्म की भूमि होने से आवंटन / खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंधित भी है। इसलिये अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अतिक्रमी को बेदखल किया जाकर सरकारी भूमि को सुरक्षित किया जाना चाहिये।

राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम खेरवाड में स्थित गै. मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है। जो राजकीय भूमि है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.14 को जवाब, सबूत, शहादत आदि का अवसर देने के पश्चात प्रकरण पर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलांट को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना अभिलेख से प्रकट है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आराजी भूमि वाके खेरवाड के खसरा नंबर 232 रकबा 1.15 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, नागौर ■ राजस्थान

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर